छत्तीसगढ़ शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
::मंत्रालय::
महानदी भवन, नया रायपुर
Email id-henv.cg@nic.in

क्रमांक : एफ 7–5/2014/32 नया रायपुर, दिनांक 30/07/2016

प्रति,

समस्त जिला कलेक्टर,
छत्तीसगढ़

विषयः **छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण अधिनियम/नियम, 2002 में संशोधन अनुसार कार्यवाही करने के संबंध में ।**

——00——

शासन द्वारा प्रदेश के निवेश क्षेत्रों में आवासीय एवं गैर आवासीय अनधिकृत विकास के नियमितिकरण हेतु छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण अधिनियम, 2002 अधिनियमित किया गया है। यह अधिनियम प्रदेश में दिनांक 01.08.2002 से प्रभावशील है। साथ ही अनधिकृत विकास के नियमितिकरण की प्रकिया आदि के निर्धारण के संबंध में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण नियम, 2002 प्रशासित किया गया है। तत्संबंधित अधिनियम एवं नियम की छायाप्रति संलग्न है। उक्त अधिनियम/नियम में वर्ष 2003 में संशोधन किया गया। (छायाप्रति संलग्न) अधिनियम/नियम के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 01.11.1984 से 01.08.2002 के पूर्व अस्तित्व में आये अनधिकृत विकास के प्रकरणों का निराकरण करना था।

2/ शासन के ध्यान में यह तथ्य आया कि आवासीय एवं गैर आवासीय दोनों ही प्रकार के अनधिकृत विकास प्रकरणों के निराकरण में अपेक्षित प्रतिकिया (Response) नहीं मिल पाई । संभवतः इसका कारण शास्ति की प्रकिया का निर्धारण जटिल होना रहा है जो जन सामान्य को समझ में नहीं आने के कारण पारदर्शिता का अभाव रहा है । इस स्थिति पर शासन द्वारा विचार करने के उपरांत शास्ति की प्रकिया का सरलीकरण करने हेतु छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2016 अधिनियमित किया गया है । प्रदेश में यह अधिनियम 01.08.2016 से प्रभावशील किया गया है । अब उक्त अधिनियम/

नियम के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 01.11.1984 से अधिसूचित दिनांक 01.08.2016 के मध्य अस्तित्व में आये आवासीय एवं गैर आवासीय अनधिकृत विकास के प्रकरणों का निराकरण किया जाना है। अधिसूचना दिनांक 28.07.2016 तथा अधिनियम/नियम के संशोधित प्रावधान की प्रति संलग्न है। अतः यह देखना जरूरी है कि 01 अगस्त, 2016 के पश्चात अनधिकृत निर्माण प्रारंभ न हो जाए । उचित होगा कि निवेश क्षेत्र में रिक्त स्थानों, अपूर्ण भवनों तथा अवैध कॉलोनियों की वीडियोग्राफी तत्काल करा ली जाए । आपके जिले के निवेश क्षेत्र की सूची तथा उसमें सम्मिलित ग्रामों की जानकारी अपने जिले के नगर तथा ग्राम निवेश अधिकारी से तत्काल प्राप्त कर लें । वीडियोग्राफी के कार्य में जो भी व्यय आता है, उसका भुगतान नगर तथा ग्राम निवेश विभाग द्वारा किया जाएगा । वीडियोग्राफी में तारीख व समय अंकित हो, ताकि प्रकरणों के निराकरण में इसका साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल किया जा सके । इस बात पर सख्ती से अमल किया जाए कि अधिसूचित दिनांक के बाद निवेश क्षेत्र में कोई भी अवैध निर्माण कार्य न हो पाए । उचित होगा कि इसके लिए आपके द्वारा टीम बनाकर नियमित रूप से शहर का निरीक्षण कराया जाए ।

3/ आप सहमत होंगे कि अधिनियम/नियम के प्रावधानों के अनुसार अनधिकृत विकास के नियमितिकरण की प्रकिया में जिला कलेक्टर की भूमिका महत्वपूर्ण है। इस अधिनियम/नियम का भली-भांति कियान्वयन अपने जिले में समय-सीमा के भीतर सुनिश्चित किया जाना है। आपको अनधिकृत विकास करने वाले व्यक्तियों से राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित दिनांक से एक वर्ष के भीतर आवेदन प्राप्त करने है। विशेष परिस्थिति में अधिनियम के प्रावधान अनुसार आपको इस अवधि में 30 दिन की वृद्धि करने का अधिकार भी है । यह अधिनियम व नियम, निवेश क्षेत्र में रहने वाली जनता से जुड़ा हुआ है तथा शासन की कल्याणकारी नीतियों से संबंधित है अतः आप इस अधिनियम व नियम का व्यापक प्रचार-प्रसार अपने जिले में करें तभी इसका लाभ अधिक से अधिक लोग ले पायेंगे। अनधिकृत विकास के नियमितिकरण हेतु आवेदन का प्रारूप-एक, नियम के साथ संलग्न है । उचित होगा कि इस प्रारूप को आप स्थानीय समाचार-पत्रों में भी छपवा दें ताकि उसी के आधार पर लोग आवेदन कर सकें । यह बात भी

प्रचारित करना होगा कि हस्तलिखित/साइक्लोस्टाईल्ड/टाईप्ड, किसी भी प्रकार के आवेदन जो इस प्रारूप में हो, स्वीकार किए जाएँगे । यह प्रारूप किसी लोकप्रिय वेबसाइट में भी अपलोड की जा सकती है ताकि अधिक से अधिक व्यक्तियों को इसकी जानकारी हो सके । इसी प्रकार आवेदन प्राप्ति हेतु भी बड़े शहरों में एक से अधिक स्थान निर्धारित किये जा सकते हैं । स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए जिला कार्यालय, नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय, तहसील कार्यालय तथा स्थानीय निकाय के कार्यालय का उपयोग इसके लिए किया जा सकता है । अतः चयनित स्थानों का चिन्हांकन कर शीघ्र अधिसूचित करें एवं इसका व्यापक प्रचार–प्रसार भी सुनिश्चित करें ।

4/ छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण अधिनियम, 2002 की धारा–4 के अंतर्गत इस विभाग के आदेश कमांक एफ 7–44/2016/32 दिनांक 27.07.2016 द्वारा प्रत्येक जिले के लिए "जिला नियमितिकरण प्राधिकारी" का गठन किया गया है। आदेश की छायाप्रति संलग्न है। नियमितिकरण के फलस्वरूप संग्रहित शास्ति राशि को शासकीय कोष में जमा किया जाना है। इस हेतु वित्त विभाग ने पूर्व में पृष्ठांकन ज्ञापन कमांक 715/2002/ब–1/चार, दिनांक 13.06.2002 द्वारा निम्नानुसार मद का निर्धारण किया है:–

"आय के मुख्य शीर्ष 0217 उपशीर्ष–06 अन्य नगर विकास योजनाएं लघुशीर्ष 800 अन्य प्राप्तियां योजना कमांक–0190"।

5/ अतः कृपया अपने जिले के निवेश क्षेत्रों के आवासीय एवं गैर आवासीय अनधिकृत विकास के नियमितिकरण के प्रकरणों का निराकरण अधिनियम/नियम के वर्तमान प्रावधानों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित करें। प्रकरणों के निराकरण की साप्ताहिक जानकारी संलग्न प्रपत्रों में आयुक्त सह–संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश को अनिवार्य रूप से भिजवाई जाए।

संलग्नः– यथोपरि।

30/7/16

(अमन कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग

D:/H&E Department/2015/letter-162

पृ.कमांक एफ 7–5/2016/32 नया रायपुर दिनांक 20/07/2016

प्रतिलिपि :

1. विशेष सचिव, छ.ग. शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग,
2. आयुक्त सह–संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर। कृपया सभी जिले के अंतर्गत गठित निवेश क्षेत्रों तथा उनमें सम्मिलित ग्रामो की अद्यतन सूची संबंधित जिला कलेक्टरों को उपलब्ध कराने हेतु समस्त क्षेत्रीय कार्यालय को निर्देशित करने का कष्ट करें।
3. संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर
4. समस्त संभागायुक्त छ.ग.,
5. समस्त क्षेत्रीय संयुक्त संचालक/उप संचालक/सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश,
6. माननीय आवास एवं पर्यावरण मंत्री जी के विशेष सहायक,
7. माननीय नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री जी के विशेष सहायक,
8. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, नया रायपुर,

की ओर सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

20/7/16
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
:: मंत्रालय ::

महानदी भवन, नया रायपुर

// आदेश //

नया रायपुर, दिनांक 27/07/2016

क्रमांक एफ 7–44/2016/32 : राज्य शासन, छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण अधिनियम, 2002 (क्रमांक 21 सन् 2002) की धारा 4 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रदेश के प्रत्येक जिले के लिए कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला नियमितिकरण प्राधिकारी का एतद्द्वारा, गठन करता है। इस जिला नियमितिकरण प्राधिकारी में अध्यक्ष के अतिरिक्त निम्नानुसार अन्य सदस्य होंगे:

1.	जिले का कलेक्टर	अध्यक्ष
2.	जिला पुलिस अधीक्षक	सदस्य
3.	संबधित नगरीय निकाय जिनके क्षेत्र का प्रकरण होगा का आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी।	सदस्य
4.	संबंधित विकास प्राधिकरण जिनके क्षेत्र का प्रकरण होगा का मुख्य कार्यपालन अधिकारी।	सदस्य
5.	नगर तथा ग्राम निवेश विभाग का जिला प्रभारी अधिकारी	सदस्य सचिव

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(संजय शुक्ला) 27/7/16
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग

पृ. क्रमांक एफ 7–44/2016/32 दिनांक 27/07/2016.

प्रतिलिपि :–

1. विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग,
2. समस्त संभागायुक्त,
3. संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, छत्तीसगढ़, रायपुर,
4. संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग, छत्तीसगढ़, रायपुर,
5. समस्त जिला कलेक्टर, छत्तीसगढ़,
6. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक, छत्तीसगढ़,
7. समस्त उप संचालक/सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, छत्तीसगढ़,
8. समस्त आयुक्त, नगर पालिका निगम, छत्तीसगढ़,
9. समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद्,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नया रायपुर
Email id-henv.cg@nic.in

// अधिसूचना //

नया रायपुर, दिनांक 28/07/2016

क्रमांक एफ 7–10/2016/32 : राज्य शासन, छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2016 (कमांक 21 सन् 2016) की धारा 1 की उप धारा (2) के अंतर्गत उक्त अधिनियम दिनांक 01.8.2016 से प्रवृत्त करता है।

2/ इस विभाग की अधिसूचना कमांक 4936/4808/18/2002 दिनांक 01.08.2002 को अधिकमित करते हुए, राज्य शासन, छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण अधिनियम, 2002 (कमांक 21 सन् 2002) की धारा 2 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर, दिनांक 01 अगस्त, 2016 को अधिसूचित दिनांक घोषित करता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(संजय शुक्ला)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग

GOVERNMENT OF CHHATTISGARH
DEPARTMENTOF HOUSING AND ENVIRONMENT
:: MANTRALAYA ::
MAHANADI BHAWAN, NAYA RAIPUR
Email id- henv.cg@nic.in

NOTIFICATION

Naya Raipur, Dated- [illegible]/07/2016

No. F 7-10/2016/32 :: the State Government, Under Sub-Section (2) of Section 1 of Chhattisgarh Anadhikrit Vikas ka Niyamitikaran (Sanshodhan) Adhiniyam, 2016 (No. 21 of 2016) shall come into force from August 1, 2016.

2. In exercise of the powers conferred by Section 2 of the Chhattisgarh Anadhikrit Vikas ka Niyamitikaran Adhiniyam, 2002 (No. 21 of 2002) and in supersession of its earlier Notification Number 4936/4808/18/2002 dated 01-08-2002, the State Government hereby declares as the Notified date August 1, 2016.

By order and in the name of the
Government of Chhttisgarh

(Sanjay Shukla)
Secretary,
Govt. of Chhattisgarh
Housing and Environment
Department

D:\Udhyog Vibhag/Adhisuchna.doc. 1

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 191] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 6 मई 2016 — वैशाख 16, शक 1938

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 6 मई 2016

क्रमांक 4502/डी. 151/21-अ/प्रारू./छ. ग./16.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 02-05-2016 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. होता, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 21 सन् 2016)

छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2016

छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण अधिनियम, 2002 (क्र. 21 सन् 2002) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ. 1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2016 कहलाएगा.

(2) यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे.

धारा 3 का संशोधन. 2. छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण अधिनियम, 2002 (क्र. 21 सन् 2002), (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (दो) के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(दो-क) "भवन अनुज्ञा शुल्क" से अभिप्रेत है ऐसा शुल्क जो कि छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 के नियम 21 के उप-नियम (3) के खण्ड (ख) एवं (ग) के अंतर्गत समय-समय पर निर्धारित किया जाये;"

धारा 6 का संशोधन. 3. मूल अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) में,-

(क) खण्ड (तीन) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(तीन) व्यावसायिक तथा अन्य गैर-आवासीय भवनों जो धारा 6-क के अधीन नहीं आते हों, पर शास्ति अधिरोपित करने के प्रयोजन के लिये, प्राधिकारी, निम्नलिखित मापदण्ड का अनुपालन करेगा, अर्थात् :-

स. क्र (1)	अनधिकृत सन्निर्माण वाले भूखण्ड का क्षेत्रफल (2)	देय शास्ति (3)
1.	100 वर्गमीटर तक	भवन अनुज्ञा शुल्क का 16 गुणा
2.	100 वर्गमीटर से अधिक किन्तु 200 वर्गमीटर से कम	भवन अनुज्ञा शुल्क का 21 गुणा
3.	200 वर्गमीटर से अधिक किन्तु 300 वर्गमीटर से कम	भवन अनुज्ञा शुल्क का 26 गुणा
4.	300 वर्गमीटर से अधिक किन्तु 400 वर्गमीटर से कम	भवन अनुज्ञा शुल्क का 31 गुणा
5.	400 वर्गमीटर से अधिक किन्तु 500 वर्गमीटर से कम	भवन अनुज्ञा शुल्क का 36 गुणा

(1)	(2)	(3)
6.	500 वर्गमीटर से अधिक किन्तु 600 वर्गमीटर से कम	भवन अनुज्ञा शुल्क का 41 गुणा
7.	600 वर्गमीटर से अधिक किन्तु 700 वर्गमीटर से कम	भवन अनुज्ञा शुल्क का 46 गुणा
8.	700 वर्गमीटर से अधिक	भवन अनुज्ञा शुल्क का 51 गुणा"

(ख) खण्ड (चार) को विलोपित किया जाए.

4. मूल अधिनियम की धारा 6-क की उप-धारा (तीन) के खण्ड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :- धारा 6-क का संशोधन.

"(ख) 120 वर्गमीटर से अधिक के भू-खण्ड के क्षेत्रफल पर निर्मित भवनों के लिये शास्ति की दर निम्नानुसार होगी, -

स. क्र. (1)	भू-खण्ड के क्षेत्रफल के आधार पर वर्गीकरण (2)	दर प्रति वर्गमीटर (रुपये में) (3)
1.	120 से 240 वर्गमीटर तक	125
2.	240 से 360 वर्गमीटर तक	200
3.	360 वर्गमीटर से अधिक	300"

5. मूल अधिनियम की धारा 9 में, जहां कहीं भी शब्द "संचालक नगरीय नियोजन एवं विकास" आये हों के स्थान पर, शब्द "संभागायुक्त" प्रतिस्थापित किया जाए. धारा 9 का संशोधन.

6. मूल अधिनियम की धारा 10 में, जहां कहीं भी शब्द "संचालक नगरीय नियोजन एवं विकास" आये हों के स्थान पर, शब्द "संभागायुक्त" प्रतिस्थापित किया जाए. धारा 10 का संशोधन.

रायपुर, दिनांक 6 मई 2016

क्रमांक 4502/डी. 151/21-अ/प्रारू./छ. ग./16 . — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 06-05-2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. छबलानी, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT

(No. 21 of 2016)

CHHATTISGARH ANADHIKRIT VIKAS KA NIYAMITIKARAN (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2016

An Act further to amend the Chhattisgarh Anadhikrit Vikas ka Niyamitikaran Adhiniyam, 2002 (No. 21 of 2002).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-seventh Year of the Republic of India, as follows :-

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Anadhikrit Vikas Ka Niyamitikaran (Sanshodhan) Adhiniyam, 2016.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may by notification in the Official Gazette, appoint.

Amendment of Section 3.

2. After clause (ii) of sub-section (1) of Section 3 of the Chhattisgarh Anadhikrit Vikas Ka Niyamitikaran Adhiniyam, 2002 (No. 21 of 2002), (hereinafter referred to as the Principal Act), the following shall be inserted, namely :-

"(ii-a) "Building permission fee" means such fee as is ascertained from time to time under clause (b) and (c) of sub-rule (3) of rule 21 of the Chhattisgarh Bhumi Vikas Rules, 1984;"

Amendment of Section 6.

3. In sub-section (1) of Section 6 the Principal Act.-

(a) for clause (iii), the following shall be substituted, namely :-

"(iii) For the purpose of imposing penalty on commercial and other non-residential buildings not covered under Section 6-A, the Authority shall follow the following scale, namely :-

S. No. (1)	Plot area having unauthorized Construction (2)	Penalty payable (3)
1.	Upto 100 sq meters	16 times of building permission fees.
2.	Above 100 sq meters but less than 200 sq meters.	21 times of building permission fees.
3.	Above 200 sq meters but less than 300 sq meters.	26 times of building permission fees.
4.	Above 300 sq meters but less than 400 sq meters.	31 times of building permission fees.
5.	Above 400 sq meters but less than 500 sq meters.	36 times of building permission fees.
6.	Above 500 sq meters but less than 600 sq meters.	41 times of building permission fees.

(1)	(2)	(3)
7.	Above 600 sq meters but less than 700 sq meters.	46 times of building permission fees.
8.	Above 700 sq meters	51 times of building permission fees"

(b) clause (iv) shall be deleted.

4. For clause (two) of sub-section (iii) of Section 6-A of the Principal Act, the following shall be substituted, namely :- Amendment of Section 6-A.

"(two) The rate of penalty for the buildings constructed on plot areas above 120 sq. mts. shall be as follow ,-

S. No. (1)	Classification on the basis of plot area (2)	Rate per sq. mt. (in Rupees) (3)
1.	from 120 to 240 sq. mts.	125
2.	from 240 to 360 sq. mts.	200
3.	above 360 sq. mts.	300"

5. In Section 9 of the Principal Act, for words "Director Urban Planning and Development", wherever they occur, the words "Divisional Commissioner" shall be substituted. Amendment of Section 9.

6. In Section 10 of the Principal Act, for words "Director Urban Planning and Development", wherever they occur, the words "Divisional Commissioner" shall be substituted. Amendment of Section 10.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 286] रायपुर, सोमवार, दिनांक 18 जुलाई 2016—आषाढ़ 27, शक 1938

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 18 जुलाई 2016

अधिसूचना

क्रमांक एफ 7-5/2014/32.---- छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण अधिनियम, 2002 (क्र. 21 सन् 2002) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण नियम, 2002 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में,-

1. नियम 5 का लोप किया जाये.

2. नियम 6 के उप-नियम (4) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़े जायें, अर्थात् :-

"(5) जहां किसी भू-भाग पर अनियमित निर्माण के नियमितिकरण में भूमि-उपयोग में परिवर्तन, चाहे वह आवासीय हो या गैर आवासीय, शामिल हो, वहां नियमितिकरण, अनियमित निर्माण के क्षेत्र, जिसको नियमित किया जा रहा है तथा जो प्रयोज्य खुली जगह से संबंधित हो, तक सीमित होगा; तदनुसार, भूमि के शेष भाग के संबंध में, भूमि-उपयोग परिवर्तित नहीं माने जायेंगे.

(6) अनियमित निर्माण का नियमितिकरण, छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 के नियम 78, 79-क एवं 79-ख के अनुपालन के अध्यधीन होगा."

3. प्ररूप-एक तथा प्ररूप-दो के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"प्ररूप-एक

(नियम 3 देखिए)

अनधिकृत विकास के नियमितिकरण हेतु आवेदन

प्रति,

सचिव,
जिला नियमितिकरण प्राधिकारी

मैं, एतद्द्वारा, मेरे द्वारा किए गये/मेरे अधिपत्य के/मेरे स्वामित्व के, अनधिकृत विकास के नियमितिकरण हेतु छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास के नियमितिकरण अधिनियम, 2002 (क्र. 21 सन् 2002) की धारा 5 के अधीन, यह आवेदन प्रस्तुत करता हूं. मैं, अनधिकृत विकसित संपत्ति के पंजीकृत वास्तुविद्/इंजीनियर/प्लानर द्वारा तैयार मानचित्र, रेखाचित्र तथा फोटोग्राफ्स के साथ निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करता हूं.

1. आवेदक का नाम - ....

2. स्वामित्व संबंधी हक (स्व-प्रमाणित) - ....

3. भूमि का विवरण, राजस्व ग्राम (मोहल्ला) - ....

   नगर निवेश योजना, सर्वे क्रमांक, प्लाट नंबर/खसरा नंबर

4. भवन के चारों दिशाओं से लिये गए फोटोग्राफ 4 प्रतियों में - ....

5. क्या यह अनधिकृत विकास, अभिन्यास योजना/भवन योजना में सम्मिलित है तथा सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया गया है यदि हां, तो उल्लेख करें -

   (1) स्वीकृति आदेश क्रमांक..

   (2) स्वीकृति दिनांक..

6 क्या अनधिकृत विकास, बिना अनुमोदन के निर्मित है या अनुक्रमांक 5 में ऊपर उल्लिखित मंजूरी के विपरीत है :

स. क्र.	नियमितिकरण के विषय	स्वीकृत अनुज्ञा अनुसार (कुल क्षेत्रफल)	बिना स्वीकृत विकास
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	खुला स्थान		
2.	फर्शी क्षेत्र अनुपात		
3.	भूमि-उपयोग में परिवर्तन		

7. रेनवाटर हार्वेस्टिंग/सौर ऊर्जा के प्रावधानों को सुनिश्चित किये जाने का विवरण ....

8. पार्किंग/आमोद-प्रमोद क्षेत्र या स्वच्छता सुविधा या अग्नि सुरक्षा मानकों ....
के उल्लंघन का विवरण.

तारीख ....

स्थान ....

आवेदक के हस्ताक्षर
(आवेदक का पूरा नाम एवं पता)

घोषणापत्र

मैं/हम, एतद्द्वारा, यह घोषणा करता हूं/करते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा ऊपर दिये गये विवरण सही है और मैं/हम आपके द्वारा इस संबंध में अपेक्षित अन्य विवरण प्रस्तुत करूंगा/करेंगे.

तारीख ....

स्थान ....

आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर
(पूरा नाम एवं पता)

प्ररूप-दो

[नियम 6 (1) देखिए]

अनधिकृत विकास के नियमितिकरण हेतु मांग सूचना

प्रति,

श्री/श्रीमती ....

....

यत: मैं, अधोहस्ताक्षरकर्ता का, प्रस्तुत आवेदन दिनांक .... के आधार पर, यह मत है कि आपके द्वारा परिसर क्रमांक/प्लॉट क्रमांक/उप भू-खण्ड क्रमांक .... के संबंध में ग्राम .... (मोहल्ला) के खसरा क्रमांक .... पर भवन का अनधिकृत विकास किया गया है, स्वामित्व या अधिभोग में लिया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है,

सम्पत्ति का विवरण -

....

अतएव, छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण अधिनियम, 2002 (क्र. 21 सन् 2002) की धारा 5 के प्रावधानों के अनुसरण में, आप नीचे दिये गये विवरण अनुसार ऐसे अनधिकृत विकास के संबंध में शास्तिक राशि जमा करने के लिये दायी है, अर्थात् :-

स. क्र.	विवरण	प्रवर्ग	क्षेत्रफल वर्गमीटर	दर रु. वर्गमीटर मे	कुल राशि रुपये में
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	किया गया अनधिकृत निर्माण	1. आवासीय			
		2. गैर आवासीय			
		3. भूमि-उपयोग में परिवर्तन			

टीप :- प्रवर्ग जो लागू न हो काट दें.

यदि आप सुने जाने की वांछा रखते हैं तो आप इस सूचना के प्राप्त होने से एक मास की कालावधि के भीतर सुनवाई के लिए प्राधिकारी को लिख सकते हैं और उस तारीख को, जो दी जाए, अपने मामले, समस्त सुसंगत अभिलेखों के साथ प्रस्तुत कर सकते हैं.

तारीख ....

स्थान ....

सचिव,
जिला नियमितिकरण प्राधिकारी
जिला ...."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय शुक्ला, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 18 जुलाई 2016

क्रमांक एफ 7-5/2014/32 . --- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 18-07-2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय शुक्ला, सचिव.

Naya Raipur, the 18th July 2016

NOTIFICATION

No. F 7-5/2014/32 --- In exercise of the powers conferred by Section 13 of the Chhattisgarh Anadhikrit Vikas Ka Niyamitikaran Adhiniyam, 2002 (No. 21 of 2002), the State Government, hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh Anadhikrit Vikas Ka Niyamitikaran Niyam, 2002, namely :-

AMENDMENT

In the said Rules,-

1. Rule 5 shall be omitted.

2. After sub-rule (4) of Rule 6, the following shall be added, namely :-

"(5) Where regularization of irregular construction on a piece of land involves change in land-use, whether residential or non-residential, the regularization shall be limited to the area of irregular construction, that is being regularized, and related applicable open space; accordingly land-use in respect of the remaining part of the land shall not be deemed to have been changed.

(6) Regularization of the irregular construction shall be subject to the compliance of Rule 78, 79-A and 79-B of the Chhattisgarh Bhumi Vikas Niyam, 1984."

3. For FORM-I and FORM-II, the following shall be substituted, namely :-

"FORM-I

(See rule 3)

Application for Regularization of Unauthorized Development

To,

Secretary,
District Regularisation Authority,

I, hereby, submit this application for the regularization of unauthorized development carried out/domiciled/ owned by me, under Section 5 of the Chhattisgarh Anadhikrit Vikas Ka Niyamitikaran Adhiniyam, 2002 (No. 21 of 2002). I herewith, submit the following information along with the maps, drawings and photographs of the unauthorized developed property made by the registered Architect/Engineer/Planner.

1. Name of the Applicant - ....

2. Ownership Title. (self attested) - ....

3. Description of land, revenue village - ....

   Towns Planning Scheme, Survey No./ Plot No./Khasra No.

4. 4 copies of photographs of building from all four sides. - ....

5. Whether this unauthorized development is included in the Layout plan/building plan and has been sanctioned by the competent authority, if yes, mention- -

   (1) Sanction order No. - ....

   (2) Date of sanction - ....

6. Whether the unauthorized development is without any approval or in contravention to the sanction mentioned above in No. 5 follows :

S. No.	Concerning Regularization	According to the permission (Total area)	Development without permission (Total area)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Open space		
2.	Floor Area Ratio		
3.	Change in Land use		

7. Description of Provision of Rain Water Harvesting/solar energy ....

8. Description of contravention in case of parking/recreational space or sanitation facility or fire safety. ....

Date ....

Place ....

Signature of the Applicant
(Full Name and Address)

Declaration

I/We, hereby, declare that the above information submitted by me/us, is correct and I/We shall submit any further information desired by you in this regard.

Date ....

Place ....

Applicant's Name & Signature
(Full Name and Address)

FORM-II

[See rule 6 (1)]

Demand Notice for Regularization of Unauthorized Development

To,

Shri/Shrimati ....

....

WHEREAS, I, the undersigned is of the opinion, on the basis of your application dated .... that you have carried out, owned or occupied the unauthorized development of the building in respect of the .... premises Tenment No./Flat No./Sub lot No. .... on Khasra No. .... of the Village/T. P. Scheme.

Description of the property :-

....

Now, therefore in pursuance of the provisions of the section (5) of Chhattisgarh Anadhikrit Vikas Ka Niyamitikaran Adhiniyam, 2002 (No. 21 of 2002) you are liable to pay the below mentioned penal amount in respect of such unauthorized development, namely :-

S. No.	Description	Category	Area in sq. mt.	Rates Rs./sq. mt.	Total Amount in Rs.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Unauthorized construction done.	1. Residential 2. Non-Residential 3. Change in land use			

Note :- Strike out category whichever is not applicable.

If you are desirous of being heard, you may write to the authority for hearing within a period of one month from the date of receipt of this notice and may represent your case with all relevant records on such date as may be given.

Date ....

Place ....

Secretary,
District Regularisation authority
District ...."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
SANJAY SHUKLA, Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.